कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क./ 684 /वा./अविअ/2025 धमतरी दिनांक 12/06/2025

रा.प्र.क. .202506130400013 अ-62
वर्ष 2024–25

प्रति,

01. वनमण्डलाधिकारी
    वन मंडल जिला धमतरी
02. श्री भंवरलाल सेठिया
    निवासी ईतवारी बाजार धमतरी
    काश्तकार ग्राम कोलियारी
    तहसील व जिला धमतरी

विषय :– वृक्ष कटाई हेतु अनुशंसा।

——0——

विषयान्तर्गत आवेदक द्वारा आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। वन. परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी एवं राजस्व निरीक्षक धमतरी का प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न है। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 11.05.2025 के अनुसार आवेदक भंवर लाल सेठिया पिता श्री चम्पालाल सेठिया निवासी ईतवारी बाजार धमतरी काश्तकार ग्राम कोलियारी, तहसील व जिला धमतरी द्वारा ग्राम कोलियारी, प.ह.नं. 36 स्थित खसरा नंबर 736, **737, 739, 740, 741, 742 रकबा** 2.50 हे. स्थित भूमि है जिसमें 32 नग शीशम, सागौन एवं अन्य वृक्ष स्थित है जिस कांटे जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर धमतरी के द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि निरीक्षण के दौरान मौका स्थल पर आवेदक उपस्थित नहीं थे। उनके भूमि में कार्यरत मजदूरों द्वारा बताये गये वृक्षों में से मोटे गोलाई ईमारती सागौन जो परिपक्व हो चुके है, ऐसे वृक्षों का कुल 10 नग का मापन कर मार्किंग किया गया। उक्त सागौन वृक्ष राजस्व भूमि में स्थित है। वन भूमि पर नहीं है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2025 में उल्लेखित है कि आवेदक आवेदक भंवर लाल सेठिया पिता श्री चम्पालाल सेठिया के द्वारा ग्राम कोलियारी, प.ह.नं. 36 स्थित खसरा नंबर 739 रकबा 0.28 हे. के अंतर्गत आने वाली भूमि में स्थित 10 नग सागौन वृक्ष को कटाई किये जाने हेतु अनुमति प्रदाय बाबत् आवेदन के जांच कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजस्व

कमशः............2

264

Tree

निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जांच आवेदक भंवरलाल सेठिया की उपस्थिति में स्थित वृक्षों का छाती की गोलाई का पैमाईश किया गया। स्थल में स्थित वृक्ष परिपक्व हो चुके है ऐसे वृक्षों का मापन कर मार्किंग किया गया। उक्त सागौन वृक्ष वन भूमि के अंतर्गत न होकर राजस्व भूमि में स्थित है। अतः आवेदित वृक्षों की कटाई हेतु नियमानुसार अनुमति प्रदान किया जाना उचित होगा। प्रतिवेदन के साथ पंचानामा, खसरा पांचसाला, प्रारूप ख निरीक्षण प्रत्रक संलग्न है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी एवं राजस्व निरीक्षक धमतरी के स्थल जांच प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रस्तुत आवेदन में खसरा नंबर 736, 737, 739, 740, 741, 742 रकबा 2.50 हे. स्थित भूमि है जिसमें 32 नग शीशम, सागौन एवं अन्य वृक्ष स्थित है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर खसरा नंबर 739 रकबा 0.28 हे. के अंतर्गत आने वाली भूमि में स्थित 10 नग सागौन प्रजाति में से वृक्ष कटाई नियम 2022 के तहत, प्रति एकड़ 04 वृक्ष काटे जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा आवेदित जमीन 0.28 हे. होने से 02 नग सागौन प्रजाति को कांटे जाने की अनुशंसा की जाती है। इसे **वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के निमय 7 की कंडिका (4)** के अनुसार वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराए तथा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा कराने का कष्ट करें। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

जारी दिनांक :– 12/06/25.....

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमतरी

पृ.क./ 685 /वा./अविअ/2025 धमतरी, दिनांक 12/06/2025

प्रतिलिपि :–

01. कलेक्टर जिला धमतरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. तहसीलदार धमतरी, वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।
03. वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमतरी

Tree

Scanned with OKEN Scanner